http://krishipravahika.vitalbiotech.org/

कृषि प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका

e-ISSN: 2583 – 0430

कृषि-प्रवाहिका: ई-समाचार पत्रिका, (2025) वर्ष 5, अंक 8, 36-39

Article ID:463

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): छोटे किसानों की सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

पूनम चतुर्वेदी[1*], बादल वर्मा[2]

[1]कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश

[2]भा.कृ.अनु.प.-खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश

[*]अनुरूपी लेखक

पूनम चतुर्वेदी[*]

भारत में कृषि पर छोटे और सीमांत किसानों का प्रभुत्व है, जिन्हें अक्सर अपनी मेहनत का उचित लाभ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सीमित भूमि जोत, बढ़ती लागत, तकनीक तक पहुँच की कमी और बाज़ार में कमज़ोर सौदेबाज़ी, खेती को एक चुनौतीपूर्ण आजीविका बना देती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए, किसान अब किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने के लिए हाथ मिला रहे हैं, जो सामूहिक समूह उन्हें कम लागत पर लागत की वस्तुएँ खरीदने, बेहतर तकनीक अपनाने, अपनी उपज का मूल्यवर्धन करने और बड़े बाज़ारों में बेचने में सक्षम बनाते हैं। सरकार की 10,000 एफपीओ योजना जैसी पहलों से समर्थित, ये संगठन आय में सुधार, ग्रामीण समुदायों को मज़बूत बनाने और भारतीय कृषि के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण हेतु तेज़ी से एक सशक्त माध्यम बन रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) केवल सामूहिक संस्थाएँ नहीं हैं; ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटे किसानों को एकजुट करके, एफपीओ उन्हें मज़बूत सौदेबाजी की शक्ति, बाज़ारों तक बेहतर पहुँच और मूल्य श्रृंखलाओं में व्यापक भागीदारी हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। वर्तमान में, देश भर में लगभग 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत महिलाएँ हैं। ये संगठन मिलकर कई हज़ार करोड़ रुपये के कृषि व्यापार का संचालन कर रहे हैं, जो उनके बढ़ते आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।

एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक पंजीकृत निकाय है जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और संचालन उसके सदस्य किसानों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ये संगठन आमतौर पर कंपनी अधिनियम (उत्पादक कंपनियों के रूप में) या सहकारी कानूनों के तहत पंजीकृत होते हैं। एफपीओ के गठन का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत उत्पादकों को एक साथ लाना है ताकि वे संयुक्त रूप से सेवाओं तक पहुँच बना सकें, लागत कम कर सकें और बाजारों से अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकें।

एफपीओ की अवधारणा कैसे विकसित हुई

एफपीओ का उद्भव भारत के छोटे किसानों की आय में सुधार और जोखिम कम करने की दीर्घकालिक चुनौती से निकटता से जुड़ा है। इस यात्रा को कई चरणों में देखा जा सकता है:

- **प्रारंभिक सहकारी जड़ें (1904):** किसानों के साथ मिलकर काम करने का विचार नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1904 में ब्रिटिश शासन के दौरान सहकारी ऋण समिति अधिनियम के साथ हुई, जिसने किसानों को ऋण प्राप्त करने और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भारत के सहकारी आंदोलन का आधार बना।
- **उत्पादक कंपनियों का परिचय (2003):** 2003 में एक बड़ा बदलाव आया, जब कंपनी अधिनियम में संशोधन करके उत्पादक कंपनियों के निर्माण की अनुमति दी गई। ये विशेष किसान-स्वामित्व वाली कंपनियाँ थीं, जो सहकारी समितियों की लोकतांत्रिक भावना को व्यावसायिक उद्यमों की दक्षता के साथ जोड़ती थीं।

- ❖ **नीति मान्यता (2007):** 2007 में, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आय में सुधार, जोखिम कम करने और मजबूत मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए किसान समूह और संगठन आवश्यक हैं। इससे सामूहिक कार्रवाई के विचार को आधिकारिक नीतिगत समर्थन मिला।
- ❖ **संरचित कार्यान्वयन (2014 से):** वास्तविक प्रोत्साहन 2014 में शुरू हुआ जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एफपीओ के गठन एवं सुदृढ़ीकरण योजना की शुरुआत की। एसएफएसी और नाबार्ड जैसी संस्थाओं की मदद से, किसान समूहों को अनुदान, ऋण और प्रशिक्षण मिलना शुरू हुआ ताकि वे अपने एफपीओ को और अधिक प्रभावी ढंग से चला सकें।

किसानों के लिए एफपीओ की भूमिका और लाभ

- **छोटी जोत:** छोटे भूखंडों वाले व्यक्तिगत किसान पैमाने की अर्थव्यवस्था, आधुनिक तकनीक या उचित बाजारों का लाभ नहीं उठा सकते। एफपीओ इन सीमाओं को दूर करने के लिए किसानों को एक साथ लाते हैं।
- **मज़बूत सौदेबाजी की क्षमता:** उपज को एकत्रित करके, किसानों को बेहतर मूल्य मिलते हैं, लागत कम होती है और बड़े बाजारों तक सीधी पहुँच प्राप्त होती है।
- **कम इनपुट लागत:** एफपीओ बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट थोक में खरीदते हैं, जिससे वे सदस्यों के लिए सस्ते हो जाते हैं।
- **बेहतर बाजार पहुँच और मूल्यवर्धन:** एफपीओ प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और यहाँ तक कि निर्यात का भी समर्थन करते हैं, जिससे किसान अधिक कमाते हैं।
- **वित्त तक पहुँच:** आसान ऋण और ऋण गारंटी किसानों को कार्यशील पूंजी और निवेश में मदद करती हैं।
- **तकनीक और प्रशिक्षण**: सदस्यों को आधुनिक कृषि उपकरण, तकनीकी सलाह और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
- **स्थायित्व:** एफपीओ जलवायु परिवर्तन और मौसम संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** वे किसानों को एक मजबूत सामूहिक आवाज देते हैं, विशेष रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों को लाभान्वित करते हैं।

कौन सदस्य बन सकता है?

एफपीओ प्राथमिक उत्पादकों (आमतौर पर किसानों) का समूह होता है। जब एक एफपीओ उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत होता है, तो इसका गठन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

(क) कोई भी 10 या अधिक व्यक्तिगत उत्पादक,

(ख) दो या अधिक उत्पादक संस्थाएँ, या

(ग) दोनों का संयोजन।

एफपीओ सदस्य शेयर खरीदकर सह-स्वामी बन जाते हैं। अधिकांश मामलों में, मतदान एक सदस्य-एक वोट के आधार पर होता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सदस्य के पास समान अधिकार होते हैं, चाहे उनके पास कितने भी शेयर हों। हालाँकि, यदि एफपीओ केवल उत्पादक संस्थाओं से बना है, तो मतदान का अधिकार इस बात से जुड़ा होता है कि प्रत्येक संस्था ने पिछले वर्ष एफपीओ के साथ कितना व्यापार किया। सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने, निदेशक मंडल का चुनाव करने, सीमित लाभांश या संरक्षण बोनस (कानून द्वारा अनुमत) प्राप्त करने और एफपीओ की सेवाओं जैसे इनपुट आपूर्ति, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और विपणन तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही, सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे एफपीओ के साथ सक्रिय रूप से व्यापार करें, उसके उपनियमों का पालन करें और धीरे-धीरे उसकी शेयर पूंजी बढ़ाएँ।

सरकारी पहल और 10,000 एफपीओ योजना

पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मज़बूत करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के तहत सहायता उपाय, नाबार्ड और एनसीडीसी के कार्यक्रम, और इक्विटी अनुदान एवं ऋण गारंटी निधि योजना जैसी योजनाएँ शामिल हैं। इन पूर्व प्रयासों के आधार पर, सरकार ने फरवरी 2020 में 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 2020-21 से 2027-28 तक है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को स्थायी समूहों में संगठित करना है जो उनकी बाज़ार शक्ति को बढ़ाएँ, लागत

कम करें और आय में वृद्धि करें। प्रत्येक एफपीओ को क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से पेशेवर मार्गदर्शन सहित पाँच वर्षों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह योजना प्रबंधन व्यय के लिए ₹18 लाख की वित्तीय सहायता, ₹15 लाख तक के इक्विटी अनुदान और ₹2 करोड़ तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी कवर भी प्रदान करती है। यह "एक ज़िला एक उत्पाद" दृष्टिकोण पर आधारित है, जो उत्पाद विशेषज्ञता, मूल्य श्रृंखला विकास और व्यापक बाज़ार संपर्क सुनिश्चित करता है, जिससे अंततः लाखों किसानों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए के समूहों को सशक्त बनाया जा सके।

एफपीओ कैसे काम करता है?

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का प्रबंधन छोटी कंपनियों की तरह होता है। सभी सदस्य मिलकर एक आम सभा बनाते हैं, जो बड़ी नीतियाँ तय करती है, जबकि एक निदेशक मंडल (5-15 निर्वाचित किसान) रणनीति और अनुपालन का ध्यान रखता है। एक सीईओ/प्रबंधक और लेखाकार जैसी एक छोटी पेशेवर टीम दिन-प्रतिदिन के काम संभालती है, जैसे थोक में कृषि सामग्री खरीदना, उपज एकत्र करना और उसका प्रसंस्करण करना, गुणवत्ता प्रबंधन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मंडियों, प्रसंस्करणकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं को या ई-नाम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री करना। वार्षिक गतिविधियों में आमतौर पर सदस्यों और शेयर पूंजी को शामिल करना, व्यवसाय योजना बनाना, ऋण की व्यवस्था करना, थोक खरीद, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग, उपज बेचना और अंत में खातों का रखरखाव और सदस्यों को रिटर्न वितरित करना शामिल होता है। शुरुआती वर्षों में, सरकार प्रमुख कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी कार्यालय लागतों को वहन करके एफपीओ का समर्थन भी करती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनने तक पेशेवर रूप से काम कर सकें।

एफपीओ का वित्तपोषण

सरकार की एफपीओ योजना यह सुनिश्चित करती है कि नए संगठनों को शुरुआती वर्षों में स्थिरता के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले:

1. प्रबंधन सहायता: कार्यालय संचालन लागत, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रबंधन खर्चों को कवर करने के लिए ₹18 लाख (3 वर्षों में)।

2. इक्विटी अनुदान (किसान अंशदान सहायता): प्रति किसान-सदस्य ₹2,000 तक का मिलान अनुदान, जो प्रति एफपीओ अधिकतम ₹15 लाख तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान शेयर पूंजी के रूप में ₹1,000 का योगदान करता है, तो सरकार ₹1,000 और जोड़ेगी।

3. ऋण गारंटी: ऋण गारंटी ₹2 करोड़ तक के बैंक ऋणों को कवर करती है, जिससे एफपीओ के लिए औपचारिक ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है।

सफलता की कहानियाँ

- **मध्य भारत कंसोर्टियम किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड (MBCFPCL)** - मध्य भारत कंसोर्टियम किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड (MBCFPCL) की स्थापना 2014 में कंपनी अधिनियम के तहत एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (ASA), स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) और नाबार्ड के सहयोग से की गई थी। भोपाल स्थित, यह FPO के एक संघ के रूप में कार्य करता है और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1.75 लाख से अधिक छोटे किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गतिविधियों में थोक इनपुट आपूर्ति, कमोडिटी एकत्रीकरण, कस्टम हायरिंग सेवाएँ और यहाँ तक कि NCDEX पर कमोडिटी ट्रेडिंग भी शामिल है। भंडारण, ग्रेडिंग और सलाहकार सहायता के लिए बुनियादी ढाँचे के साथ, कंसोर्टियम ने 2020-21 में ₹29 करोड़ से अधिक का कारोबार हासिल किया, जिससे यह इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली FPO नेटवर्क में से एक बन गया।
- **सह्याद्री फार्म्स FPO** - महाराष्ट्र में, सह्याद्री फार्म्स FPO भारत के सबसे प्रसिद्ध किसान समूहों में से एक है। विलास शिंदे और नासिक के अंगूर उत्पादकों के एक समूह द्वारा 2010 में स्थापित और 2011 में औपचारिक रूप से पंजीकृत, सह्याद्री 18,000 से अधिक सदस्यों के साथ देश का सबसे बड़ा एफपीओ बन गया है। सह्याद्री अपनी एकीकृत मूल्य श्रृंखला के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण से लेकर ब्रांडिंग और खुदरा बिक्री तक सब कुछ शामिल है। हालाँकि इसकी शुरुआत अंगूर से हुई थी, लेकिन अब यह आम, अनार, प्याज और टमाटर

जैसी कई फसलों के साथ काम करता है। आज, सह्याद्री 40 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करता है और इसका कारोबार ₹1000 करोड़ को पार कर गया है, जिसने भारत में किसान-प्रधान कृषि व्यवसाय के लिए एक मानक स्थापित किया है।

- **हरदोल दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड** - मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित हरदोल दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड की स्थापना 2011 में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (एमपीआरएलपी), नाबार्ड और विश्व बैंक के सहयोग से हुई थी। मात्र 120 डेयरी किसानों से शुरू होकर, अब इसके 430 से अधिक सदस्य दूध उत्पादन और सामूहिक विपणन में लगे हुए हैं। कंपनी पशुधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए दूध संग्रहण, शीतलन और गुणवत्ता परीक्षण का प्रबंधन करती है। इसका कारोबार लगातार बढ़कर लगभग ₹1 करोड़ तक पहुँच गया है, जिससे ग्रामीण डेयरी किसानों को एक स्थिर आय का स्रोत प्राप्त हुआ है, जिन्हें पहले बाज़ार तक पहुँच पाने में कठिनाई होती थी।

भारत में एफपीओ का भविष्य

भारत में एफपीओ केवल सामूहिक संगठन नहीं हैं, वे ग्रामीण परिवर्तन के इंजन हैं। चाहे वह मध्य भारत कंसोर्टियम जैसे बड़े संघ हों, हरदोल दुग्ध उत्पादक कंपनी जैसे डेयरी-केंद्रित समूह हों, या सह्याद्री जैसी वैश्विक सफलता की कहानियाँ हों, सबमें एक समान सूत्र मजबूत संस्थागत समर्थन द्वारा समर्थित सामूहिक कार्रवाई की शक्ति है। आगे बढ़ते हुए, शासन को मज़बूत करना, वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करना, बाज़ार संपर्क बनाना और क्षमता निर्माण में निवेश करना, एफपीओ को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार और निजी क्षेत्र के निरंतर सहयोग से, एफपीओ किसानों की आय दोगुनी करने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और लचीली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। (2025)। सरकार की प्रमुख योजना के तहत 10,000 एफपीओ का लक्ष्य: आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक कदम। प्रेस सूचना ब्यूरो। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2106913

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। (2021)। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)। प्रेस सूचना ब्यूरो। https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148588

जोशी, ई. (2022)। भारत के एफपीओ पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन। टाटा-कॉर्नेल कृषि एवं पोषण संस्थान। https://tci.cornell.edu/?blog=assessing-indias-fpo-ecosystem

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2024)। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर राष्ट्रीय नीति। https://agriwelfare.gov.in/Documents/HomeWhatsNew/National_policy_onFPOs_18Jun2024.pdf

प्रसाद, सी. एस., और सक्सेना, ए. (2021)। एफपीओ आंदोलन का बीजारोपण: मध्य भारत कंसोर्टियम का दस लाख किसानों का मिशन। फार्मिंग फ्यूचर्स ब्लॉग, लघु कृषि आय। https://www.smallfarmincomes.in/post/seeding-an-fpo-movement-madhya-bharat-consortium-s-million-farmer-mission/